...ायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)
मि.न.–85 / 2019
दिनांक– 14/11/19

सरकार बनाम कृष्ण कुमार

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नारहेडा ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम नारहेडा तहसील कोटपूतली के ख0 नं0 617 / 2.72 व 447 / 0.06है0 किस्म जमीन मुमकीन रास्ता व बा0–1 मेंसे क्रमशः 0.005 व0.03 है0 पर कृष्ण कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति कुम्हार निवासी नारहेडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने जोत लगाकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवतएल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायलान उपस्थित आया । तथा जबाब पेश किया जो संलग्न पत्रावली किया गया । गैर – सायल ने अपने जबाब मे कथन के अनुसार गैर सायल का अतिक्रमण उक्त आराजीयात पर किया जाना बखूबी साबित होता है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भू– अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच के उपरान्त पेश की गई है।

अतः गैरसायल कृष्ण कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति कुम्हार निवासी नारहेडा जिला जयपुर द्वारा वाके ग्राम नारहेडा के खसरा नंबर 617 / 2.72 व 447 / 0.06है0 किस्म जमीन मुमकीन रास्ता व बा0–1 मेंसे क्रमशः 0.005 व0.03 है0पर अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण सिद्व होता है अतः अतिक्रमि के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमि के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्तन्न होगी ।

अतः कृष्ण कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति कुम्हार निवासी नारहेडा जिला जयपुर को वाके ग्राम नारहेडा तहसील कोटपूतली के ख0न0617 / 2.72 व 447 / 0.06है0 किस्म जमीन मुमकीन रास्ता व बा0–1 मेंसे क्रमशः 0.005 व0.03 पर अतिक्रमी धोषित करते हुये उक्त आराजियात की गई जोत को हटाया जा कर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश

दिये जाते हैं तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 1.05का पचास गुणा 53रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार निलामी ,बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 14/11/19 को सरे इजलास सुनाया गया ।

वर्ष 2019-20 के पृष्ठ संख्या 52 पर 53 रुपये कायम किये गये ।

राजस्व लेखाकार
कोटपुतली